बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

–: कार्यालय आदेश :–

का०आ०सं०–01 / स्था०न्यायालय–941 / 2019– **पटना, दिनांक अक्टूबर, 2026**

श्री भगवान सिंह सेवानिवृत लिपिक, कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा को लंबित वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा उनके सेवाकालीन अभिलेखो एवं उपलब्ध तथ्यों का समीक्षा किया गया। समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदक श्री भगवान सिंह, सेवानिवृत लिपिक, कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा द्वारा उक्त के निमित माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C संख्या–22867 / 2019 दायर किया गया है। तद्आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा श्री भगवान सिंह को नियमानुसार देय वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने हेतु विचार किया गया। उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार श्री भगवान सिंह की सेवा संबंधी प्रमुख प्रविष्टियाँ निम्नवत है:–

क्र०	विवरण	प्रविष्टि
1	कर्मचारी का नाम	श्री भगवान सिंह, सेवानिवृत लिपिक
2	पदस्थापन	कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा
3	जन्म तिथि	05.01.1946
4	सरकारी सेवा में प्रथम योगदान की तिथि (कामदार के पद पर)	25.01.1966
5	निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान की तिथि	23.11.1979
6	हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि	06.12.1981
7	विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि	11.04.1990
8	सेवा सम्पुष्टि की स्थिति	सेवा पुस्तिका में अंकित नहीं है।
9	12 वर्ष की सेवावधि पूरी करने की तिथि	23.11.1991
10	24 वर्ष की सेवावधि पूरी करने की तिथि	23.11.2003
11	सेवानिवृति की तिथि	31.01.2004
12	ACP योजना लागू होने की तिथि 09.08.1999 को श्री सिंह का वेतनमान (रूपये)	4000–100–6000

ACP योजना नियमावली, 2003 के नियम–4 के अन्तर्गत स्कीम के अधीन पात्रता हेतु निम्नांकित शर्त का प्रावधान किया गया है:–

"स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन की मंजूरी का मूल मानदंड (criterion) यह है कि संबंधित कर्मचारी, पुनरीक्षित वेतनमान सहित एक ही वेतनमान में 12/24 वर्षों से काम करता आ रहा है। ऐसी स्थिति में उच्चतर वेतनमानों की मंजूरी दी जाएगी भले ही उसने विभिन्न पदों पर, एक ही वेतनमान में, कार्य किया हो;

परन्तु यदि मूल नियुक्ति के पद से भिन्न पद पर नियुक्ति उच्चतर वेतनमान में की गयी हो तो उसे सीधी नियुक्ति मानी जाएगी। ए०सी०पी० योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के प्रयोजनार्थ पूर्व की सेवा की गणना नहीं की जाएगी।"

प्रस्तुत मामले में श्री सिंह द्वारा सरकारी सेवा में प्रथम योगदान कामदार के पद पर किया गया, परन्तु बाद मे मूल नियुक्ति के पद से भिन्न पद लिपिक के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप दिनांक–23.11.1979 को योगदान किया गया।

अतएव उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा सर्वसम्मति से की गई अनुशंसा के आधार पर श्री सिंह को दिनांक–11.04.1990 से सेवा सम्पुष्ट करते हुए बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में श्री भगवान सिंह, सेवानिवृत लिपिक, कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा को दिनांक–09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम वित्तीय उन्नयन वेतनमान (रूपये)–4500–125–7000 एवं दिनांक–23.11.2003 के प्रभाव से द्वितीय वित्तीय उन्नयन वेतनमान (रूपये)–5000–150–8000 में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप श्री सिंह का वेतन नियतिकरण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के नियम–8 के अनुसार किया जाना है। वेतन नियतन मौलिक नियमावली के नियम–22(i)(A)(i) के प्रावधानों के अनुसार होगा। वेतन निर्धारण के क्रम में नियंत्री/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस बिन्दु पर पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि उक्त नियमावली के नियम–8 के प्रावधानों का अनुपालन पूरी तरह हो रहा है।

3. उपर्युक्त के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर श्री सिंह को प्रदत्त ए.सी.पी. योजना का लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

का०आ०सं०—01 / स्था०न्यायालय—941 / 2019— पटना, दिनांक अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा / विद्वान ए.ए.जी. सं०—7, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —
ईखायुक्त, बिहार।

का०आ०सं०—01 / स्था०न्यायालय—941 / 2019— पटना, दिनांक अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि—सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा को उनके पत्रांक—369 दिनांक—27.08.2026 के आलोक में श्री भगवान सिंह, सेवानिवृत लिपिक का मूल सेवापुस्त संलग्न करते हुए अनुरोध है कि वेतन निर्धारण एवं भुगतान कर सी.डब्लू.जे.सी. नं०—22867 / 2019 में पूरक प्रतिशपथ—पत्र दायर करने की कार्रवाई की जाय एवं विभाग को अवगत कराया जाय।

ह० / —
ईखायुक्त, बिहार।

का०आ०सं०—01 / स्था०न्यायालय—941 / 2019— पटना, दिनांक अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि—सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा / श्री भगवान सिंह सेवानिवृत लिपिक, कार्यालय—सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा स्थायी पता—ग्राम—शाह आलमपुर, पोस्ट—जौनपुर, भाया—मोहिउद्दीन नगर, जिला—समस्तीपुर पिन कोड—848501 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —
ईखायुक्त, बिहार।

का०आ०सं०—01 / स्था०न्यायालय—941 / 2019-1858/2026 पटना, दिनांक 01 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि— आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/10/2026
ईखायुक्त, बिहार।